न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय, कक्ष सं०-01, गाजीपुर

UPGH040299952026

<u>Warrant or Summons Criminal Case/24187/2026</u>

पवन कुमार----**बनाम**----बिरु उर्फ विरेन्द्र कश्यप आदि

थाना- बिरनों, **जिला-** गाजीपुर।

<u>दिनांक-14.08.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी द्वारा कोई हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० दिनांक-12.02.2026 को परिवाद के रूप में दर्ज हुआ, परिवादी द्वारा पत्रावली में अंतर्गत धारा-223 बी०एन०एस०एस० का बयान भी अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी लगातार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। परिवादी को उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः परिवादी की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी०एन०एस०एस० के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का फौ० परिवाद सं०-24187/2026 **पवन कुमार बनाम बिरु उर्फ विरेन्द्र कश्यप आदि** परिवादी की लगातार अनुपस्थिति में अन्तर्गत धारा-226 बी०एन०एस०एस० के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रंजना देवी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय,
कक्ष सं०-01, गाजीपुर।
(JO CODE -UP4890)